RAJYA SABHA

Thursday, the 22nd November 2001/1 *Agrahayana,* 1923 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**61 [The Questioner (Shri Abani Roy) was absent. For answer, vide page 23 infra]*

Statutory dues of CPSUs' Employees

*62. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:†
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply to Starred Question 63 given in the Rajya Sabha on the 23rd November, 2000 and state:

(a) the status of statutory dues payable to the employees of CPSUs;

(b) amount liquidated so far;

(c) the status of present dues against P.F. gratuity *vis-a-vis* status on the 23rd November, 2000, enterprise-wise;

(d) whether employees of Burn Standard, National Instrument, Bharat Brakes and Valves are not being paid wages for the last 4-5 months; and

(e) if so, the action taken by Government to pay the arrears of wages immediately?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) According to the latest information furnished by administrative Ministries, the total outstanding statutory dues of workers employed in CPSUs were Rs. 1811 crore for the quarter ending June, 2001. The status of outstanding statutory dues for the quarter ending December, 2000 was Rs. 1899 crore, indicating that almost Rs. 100 crore of dues were liquidated during this period of six months.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Chandra Kala Pandey.

(c) Enterprise-wise details of outstanding dues of Provident Fund (PF) and Gratuity are not available for 23rd November, 2000 and the corresponding period in the current year. The latest information available for the quarter ending June, 2001 shows that the outstanding dues on account of PF were Rs. 860 crore and that of Gratuity were Rs. 106 crore. The corresponding figures for the quarter ending December 2000 were Rs. 895 crore for Provident Fund dues and Rs. 144 crore for gratuity.

(d) Wages have not been paid for the last few months to the employees in Burn Standard, National Instruments, and Bharat Brakes and Valves.

(e) The CPSUs are expected to pay wages and salaries from the internal resources of the company. However, due to financial constraints faced by some PSUs, budgetary support is being provided on a case to case basis. Government has liquidated all the dues of workers, including the arrears of wages for units which were not revivable and, therefore, had to be closed down.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को देय बकाया राशि के भुगतान का यह प्रश्न कई बार संसद और सम्बद्ध समितियों में उठाया गया है पिछला जो रिकॉर्ड मेरे पास है, उसके अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को देय बकाया राशि में सैलरी, प्रॉविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि शामिल हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में 21.12.2000 को यह बताया गया था कि जून, 2000 के अंत में यह राशि 1,800 करोड़ रुपए थी और आज जो उत्तर मुझे दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि जून, 2001 में यह राशि 1,811 करोड़ रुपए है जिसमें प्रॉविडेंट फंड के डयूज़ 860 करोड़ रुपए हैं। इसका अर्थ यह है कि पिछले एक साल में कुछ भी नहीं किया गया है। हिन्दी में एक मुहावरा है कि "नौ दिन चले अढाई कोस"। यह जो रफ्तार है, इसको देखकर लगता है कि सरकार के बारे में एक नया मुहावरा बनाना पड़ेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: चल तो रही है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: इन अभागे डेढ़ लाख वर्कर्स के संदर्भ में सरकार न केवल पेमेंट ऑफ वेजेज़ ऐक्ट, बोनस ऐक्ट, ग्रेच्युटी ऐक्ट की उपेक्षा कर रही है, बल्कि मानवाधिकार कानून का भी उल्लंघन कर रही है। श्रम मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है कि क्या वे अपनी जिम्मेदारी से इसी प्रकार मुंह मोड़ते रहेंगे? क्या वे कोई आश्वासन मुझे दे सकेंगे कि कितने दिनों तक इन वर्कर्स को इंतजार करना पड़ेगा एक महीने, दो महीने , छह महीने या फिर अनंत काल तक हम यह प्रश्न यहां उठाते रहेंगे और ऐसा ही उत्तर मिलता रहेगा?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, मैं यह मानता हूं कि यह सवाल काफी गंभीर है और सरकार इस बारे में पूरा प्रयास कर रही है। वे कह रही हैं कि एक साल

हो गया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले छह महीनों में पूरा प्रयास किया है और उसके कारण प्रॉविडेंट फंड के अथवा जो पिछले डयूज़ थे, दिसंबर, 2000 में 1,899 करोड़ रुपए, अब वह घटकर 1,811 करोड़ रुपए हो गए हैं। मैं यह मानता हूं कि इसके लिए और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए लेकिन आप जो कह रही हैं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कोशिश करके 98 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज से 121 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। हम मानते हैं कि इस दिशा में और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि कई कंपनियां बी.आई.एफ.आर में हैं, कई कंपनियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इनके कारण हमारे सामने इस बकाया राशि की वसूली में समस्याएं आ रही हैं। हमारे जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और जो दूसरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, वे अपने-अपने तरीके से प्लान बनाकर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर इस दिशा में काम कर रही हैं। इस तरह पूरी सरकार इस बारे में चिंतित है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बैठी नहीं है, निश्चित तौर पर सरकार प्रयास में लगी है। मैं यह मानता हूं कि और ज्यादा प्रयास होने चाहिए थे। हमें तो यहां आए हुए बहुत कम समय हुआ है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ से जो कुछ भी हो सकेगा, वह हम अवश्य करेंगे और इन समस्याओं को हल करने का प्रयास हम करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के इस उत्तर से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि इस ओर प्रयास हुआ है। वह खुद कह रहे हैं कि कम हुआ है लेकिन यह रफ्तार बहुत ही धीमी है। इस तरह तो भुखमरी के कगार पर जो श्रमिक हैं उनका हश्र क्या होगा यह आप ही जानते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न हिन्दी में पार्ट-'न' से रिलेटिड है। आपने उत्तर दिया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मजदूरी और वेतनों का भुगतान कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से करें। इस बारे में प्रश्न करते हुए मुझे बहुत ही खेद और निराशा का अनुभव हो रहा है। अगर इन कम्पनियों से प्रोफिट हो, डिविडेंड रिजर्वस और डिस-इंवेस्टमेंट को बेचकर जो पैसा मिले उससे मुनाफा कमाने का अधिकार सरकार को है और अगर कष्ट होता है वेतन भुगतान आदि के विषय में तो उसका खमियाजा श्रमिकों को भुगतना पड़ेगा। इस तरह चित्त भी आपकी पट्ट भी आपकी। तो क्या श्रम मंत्री जी मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी रफ्तार अभी है उससे आपकी रफ्तार और बढ़ेगी तथा भुगतान जल्दी किया जा सकेगा?

श्री शरद यादव: सर, जो सवाल किया गया है, ऐसा नहीं है कि यह जो सारी कम्पनीज हैं जिनके बारे में जो प्रोसस चली हुई है तथा वह कम्पनीज जिनको चला नहीं सकते जो बोझ बनी हुई हैं जब उनको क्लोज किया जा रहा है तो उनकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है और पिछली बार भी

जो 1999-2000 का बजट था उसमें 2080 करोड़ रुपया रखा गया था। 2000-2001 में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बजटरी सपोर्ट दिया गया है वह 1374 करोड़ रुपए का है और वह बढ़ भी सकता है। जो सारी प्रोसेस चल रही है उसमें निश्चित तौर पर सरकार की कुछ सीमाएं हैं और यह सवाल अकेले मेरे से वास्ता नहीं रखता। लेबर मिनिस्ट्री को... (**व्यवधान**)

श्री जीवन राय: लॉक-आउट कर दीजिए , दो साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। यह क्या हो रहा है। बंद कर दीजिए , लॉक-आउट कर दीजिए..(**व्यवधान**)..

डा. अलादी पी. राजकुमार: लॉक-आउट करने से मसला हल नहीं होता।

श्री सुरेश पचौरी: इसी कारण इसकी हालत दयनीय है।

SHRI JIBON ROY: For two years now, the workers in many public sector industries have not been paid. You close them. (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है कि सरकार सब तरह के प्रयास कर रही है, यानी जो कम्पनी बिल्कुल चल नहीं सकती, टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, हैवी इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री है, प्लान कर रही हैं कि कौन से यूनिट वाइबल हो सकते हैं, कौन से क्लोज किए जाएंगे और जो क्लोज किए जाएंगे तो उनके पेमेंट और तमाम तरह की जिम्मेदारी से हम भागना नहीं चाहते। लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सब को बंद कर दीजिए , तो ऐसा न तो हमारा इरादा है और हम तो बाकायदा इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। जो वाएबिल नहीं हैं, जो नहीं चल सकती हैं जो एक तरह से एक्सचैकर पर बोझ हैं उसके मामले में हम निश्चित तौर पर चिंतित हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: क्या कोई समय-सीमा है जिसमें आप इसको करवाने की कोशिश करेंगे?

श्री शरद यादव: मैं इस सवाल का निश्चित उत्तर तो नहीं दे सकता लेकिन सरकार अपनी तरफ से ताकत लगा सकती है, कोशिश कर सकती है। लेकिन यह अकेले हमारे विभाग का मामला नहीं है। चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे हैवी इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री हो, चाहे केमिकल वाले हों, चाहे टेक्सटाइल्स वाले हों सब लोग लगे हुए हैं कि कौन सा यूनिट वाएबिल हो सकता है, किसको रिवाइव किया जा सकता है तथा रिवाइवरल के पैकेज भी हमने बहुत दिए हैं। हम कोई निश्चित सीमा तो नहीं बतला सकते लेकिन अपने प्रयास में निरन्तर लगे हुए हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां सुना दूं :

'भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा,

अन्तर्तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए ,

आओ फिर से दीया जलाएं।'

है किसी की कविता, पता नहीं।

श्री बालकवि बैरागी: यह अटल जी की ही कविता है। पंडित जी, यह आप ही की कविता है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: यहीं है वह। सर डेढ़ लाख वर्कर्स जिनका जिक्र यहां हो रहा है इनके घरों पर इस बार दीवाली में दीया नहीं जले। यह 1800 करोड़ तो 1800 करोड़ ही रह गए। उनको उम्मीदें थी दीया जलाने की। इसी सदन में 23 नवम्बर को जिस प्रश्न का मैंने जिक्र किया है....

पिछले साल 23 नवम्बर को इसी सदन में यह प्रश्न उठाया गया था और भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं 23 नवम्बर की प्रोसीडिंग्स से कोट कर रहा हूं-"यह बकाया जो है, धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर दिया जाए।" हाइऐस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री, प्रधान मंत्री इस सदन में आश्वासन दें कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर दिया जाए जिसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है. 9-9 बड़के-बड़के मंत्री है, छुटके-छुटके नहीं, बड़के बड़के मंत्री है जो उसमें दो साल से बैठे है और रिजल्ट क्या है? क्या रिवाइव होता है, उससे मतलब नहीं है। 740 करोड़ प्रावीडेंट फंड का बकाया अब भी बकाया है। एक साल के बाद जून 2000 में 1800 करोड़ है और 2001 में 1811 करोड़। अब मैं क्या करूं? इन लोगों को दिए जलाने की उम्मीद थी, उन लोगों को तो यह सुनाया गया था पर हो क्या रहा है-कई सालों से यह चल रहा है-उन लोगों को सुनाया गया कि "सबकी देखी बारी-बारी, अब की बार अटल बिहारी।" 13.9.97 में 645 करोड़ का बकाया था। 1999 में 1842 करोड़ बकाया हो गया। सन् 2000 में 1700 करोड़ हुआ। 30 जून 2000 को 1800 करोड़ हुआ। 30.9.2000 को 1835 करोड़ हुआ। उसके बाद प्रधान मंत्री का आश्वासन आया और फिर दिसम्बर में 1800 करोड़ हो गया और आज है 1811 करोड़। अब बताइए, मैं प्रश्न किससे पूछूं? मेरे जैसा छोटा-मोटा सांसद न होकर एक जुझारू और विरोधी प्रतिपक्षी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अगर वह मेरी जगह होते तो इसी बात पर प्रधान मंत्री जी का इस्तीफा मांगते कि आपके आश्वासन का मूल्य क्या है? मैं तो एक छोटा-मोटा सांसद हूं, ऊपर से सी.पी.एम. का हूं, देशद्रोही हूं, मुखर्जी हूं, बैनर्जी नहीं हूं, मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं। मैं केवल यही बात जानना चाहता हूं कि क्या इसके बाद भी हम लोग संसद में आ पाएंगे या इन डेढ़ लाख लोगों के लिए संसद केवल एक मखौल बनकर रह जाएगी? मैं प्रधान मंत्री जी से केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या गणतंत्र में संसद पर किसी की आस्था रहेगी? अगर प्रधान मंत्री जी के यहां खड़े होकर आश्वासन देने के बावजूद भी हालात वही के वहीं रहेंगे, वही के वही प्रश्न और वही के वही उत्तर लेकर बार-बार हम आएंगे तो क्या होगा? आप बोलें तो हमारी छुट्टी कर दीजिए, पोटो लगाइए या जो भी लगाइए, जेल में डाल दीजिए, हम लोग नहीं आएंगे, ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो हजारों टैररिस्ट्स इस हिन्दुस्तान में पैदा होंगे। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? ...(व्यवधान)... ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने

से तो लोगों को तनख्वाह नहीं मिल जाएगी। हमें तो प्रधान मंत्री जी से आश्वासन चाहिए। आप एक साल बोल दीजिए और जो 9 मंत्री हैं, उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टरी से भगा दीजिए और एक संसदीय समिति का गठन कर दीजिए जिसमें आप अपने आदमियों से-आप तो अपने हैं, पैट्रीएट्स है, आप पैट्रीएट्स की एक संसदीय समिति बना दीजिए , किसी टैररिस्ट को उसमें मत रखिए-जो एक साल के अंदर इन डेढ़ लाख लोगों के भुगतान का निपटारा करे। क्या आप ऐसा आश्वासन दे सकते हैं? संसदीय लोकतंत्र में इन डेढ़ लाख लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं?

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, सरकार की इच्छा, सरकार के साधन और माननीय सांसद का आक्रोश...

श्री दीपांकर मुखर्जी : आक्रोश नहीं, दुख है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनका दुख-अगर इन तीनों को आप मिलाकर देखेंगे तो भी कोई रास्ता नहीं निकलता है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : रास्ता निकल जाएगा। ...**(व्यवधान)**... हम आपसे रास्ता निकलवा देते हैं। कोई सवाल नहीं ...**(व्यवधान)**... 1800 करोड़ अगर आपको निकालना है तो एक कम्पनी जो शौरी जी बेचें, वह पैसा आप उनको दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**... महोदय, 60 साल की उम्र में जो रिटायर हो चुके हैं, क्या दस साल तक वह प्रॉवीडेंट फंड के लिए बैठे रहेंगे? क्या सरकार इतनी दिवालिया हो गयी है कि 1800 करोड़ रुपये मजदूरों को नहीं दे सकती? जिस सरकार के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, क्या वह सरकार दिवालिया हो चुकी है? क्या वह 1800 करोड़ रुपये मजदूरों को नहीं दे सकती?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो श्रम क्षेत्र से संबंधित हैं, कम्यूनिस्ट पार्टी से भी आपका नाता जुड़ा हुआ है। किन कठिनाइयों में यह पब्लिक अंडरटेकिंग्स के मामले चल रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। सवाल 1800 करोड़ का नहीं है। सवाल इससे बड़ा है। अगर सदन एक राय का हो और सब सदस्य मिलकर यह फैसला करें कि जिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हम तनख्वाह नहीं दे सकते, उन्हें हम बंद कर दें। ...**(व्यवधान)**... क्या आपका यह सुझाव है? ...**(व्यवधान)**... हम बंद नहीं करना चाहते। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी : प्रॉवीडेंट फंड क्यों नहीं मिलेगा? ...**(व्यवधान)**... इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। 30 साल से वे लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रॉवीडेंट फंड क्यों नहीं मिलेगा? ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब प्रॉवीडेंट फंड की बात आयी न। ...**(व्यवधान)**... अभी तो मजदूरों के ...**(व्यवधान)**... प्रॉवीडेंट फंड भी सब उद्योगों के लिए देना संभव नहीं है। उसके संबंध में कई बार उनके मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। आपको भी मालूम है। आप खुद मांग

करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जेल जाने तक की नौबत आई है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री को जेल जाना चाहिए। वे मालिक हैं। साहब, जेल तो आपको जाना चाहिए , आप मालिक है। अगर आप प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं देंगे तो The owner should be held responsible and not the company. प्रधानमंत्री जी, अगर प्रोविडेंट फंड की पेमेंट नहीं है तो शरद यादव को आपको जेल में डालना पड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री को जेल में डालना पड़ेगा। बिरला साहब यहां नहीं हैं। अगर आप प्रोविडेंट फंड नहीं देंगे तो उनके घर का घेराव करके उन्हें जेल में डालना है। आप मालिक हैं। प्रोविडेंट फंड का पेमेंट 760 करोड़ रुपया, मजदूर ने अपना पैसा दिया है, सबका पैसा दिया है। तीस साल पहले वह प्रोफिट मेंकिंग था। उसे ग्रेच्यूटी नहीं देंगे, रिटायर करेंगे? दो साल तक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। आप कर सकते हैं। साहब, आप ब्यूरोक्रेट की बात क्यों सुनते हैं, हमारी बात सुनिए। देखिए , हम कैसे आपका पेमेंट अभी करा देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, मैं इनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप इतने पैकेज कर सकते हैं। पंजाब को पैकेज दीजिए , उत्तर प्रदेश को पैकेज दीजिए। वोट चाहिए। चुनाव हो जाए कहीं तो एग्री। वर्कर्स के लिए चुनाव? चुनाव के लिए पैसा साधन हो जाता है। पंजाब के लिए , उत्तर प्रदेश के लिए जहां चुनाव हो वहां पैकेज हो सकता है लेकिन इन वर्कर्स के लिए पैकेज नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इन्हीं में से टेरेरिस्ट पैदा होंगे। इनके बच्चे देख रहे हैं कि रिटायर होने के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। यही लोग टेरेरिस्ट ग्रुप में जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।

SHRI S. S. PRADHAN: Sir, I am on a point of order. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: In Question Hour, there can't be any point of order. *(Interruptions)*

श्री सतीश प्रधान: सभापति जी, आप एक कानून लगाइए। आप हर समय अलग-अलग कानून मत लगाइए। कल जब मैं सप्लीमेंट्री पढ़ रहा था तो आपने बताया कि आपने बीच में इंटरवीन किया है, आपका मौका खत्म हो गया है इसलिए आपको आगे पूछने के लिए चांस नहीं मिलेगा। आपने जो आदेश दिया मैंने मान लिया। आप जो आदेश देते हैं उसे मैं मान लेता हूं लेकिन इस सदन के कुछ सम्माननीय सदस्य बार-बार टोकते हैं, बार-बार इंटरप्शन करते हैं और इसके बावजूद आप वह सब चलने देते हैं। वे कितने भी सवाल पूछ लें आप उन्हें परमिशन देते हैं। ये अलग-अलग दो आस्पेक्ट्स क्यों ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: There can be no comments on what the Chairman has said. *(Interruption)*

श्री जीवन राय: जान का सवाल है ...(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान: और जगह भी जान का सवाल है...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am not going into the details of the problems of the Government. What Mr. Dipankar Mukherjee has said, that the government has a moral, legal and constitutional responsibility to meet the statutory dues of the employees, is also a fact. Therefore, so far as the Provident Fund is concerned, it must be the top priority and that should be considered as the first charge, because when we are taking action against the defaulting private sector employees for their non-compliance of the statutory requirement, can the government say that it is not able to comply with this simply because the Government is the owner of it? We can't have two standards. One can understand that there is some problem. If in six months, the reduction is from Rs. 1899 to only Rs. 1811 crores, it means, the financial situation in the country is not that fine. That means, only Rs. 88 crores have been paid over a period of six months, despite the assurance given by the Prime Minister. The situation is, no doubt, grave.

So far as the Provident fund is concerned, can the Government give an assurance that providing at least Rs. 860 crores would be considered as the first charge?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, इस संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि प्रोविडेंट फंड की अदायगी इस सरकार के लिए सबसे पहला काम है। मजदूरों द्वारा कमाया हुआ और मालिकों द्वारा थोड़ा-सा हिस्सा मिलाया हुआ जो कोष है वह उन्हें दिया जाए इस संबंध में सरकार के मन में कभी दुविधा नहीं रही और पहले जो सरकार थी उसके मन में भी दुविधा नहीं रही। हम इस बात का लगातार प्रयास करते हैं लेकिन हर मामले में यह पूरा नहीं हुआ है। इसमें कठिनाइयां आती हैं और प्रणब बाबू, आप तो कठिनाइयों से परिचित हैं। लेकिन यह हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास को गति देंगे कि प्रोविडेंट फंड का जल्दी से जल्दी भुगतान हो।

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, the hon. Minister has admitted that the total outstanding dues of workers employed in CPSUs were Rs. 1811 crores for the quarter ending June 2000. This amount consists of wage arrears, Provident Fund, and gratuity. All these are statutory dues. If statutory dues are not cleared, then there are provisions in the law to take action. But the agencies that are to take action are the Departments of the Government itself. Therefore, they are not taking action. The money is to be given by the companies and not by the Government. Regarding the Provident Fund, Mr. Pranab Mukherjee has already spoken. Gratuity is an amount due to those workers who have already retired.

Therefore, they are not getting this amount after one month or two months or three months or four months or eight months or even one year. They have remained without getting the gratuity. They are not having any employment and they are not getting wages. The Government can understand the plight of these people. Government says that this money will have to be given by the companies from their internal resources. Of course, if there are internal resources, the Government may direct the companies to pay these dues immediately. If there are no internal resources, then my suggestion would be that it should be given through budgetary support. Therefore, my request is that this being the statutory dues, the Government should take an immediate decision in this regard. The companies which have their own internal resources, let them pay it. Otherwise, the Government should give the budgetary support to clear these dues.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, जो कह रहे हैं सरकार ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्ज़ बनाया और निश्चित तौर पर कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, हमारे पास आई.पी.सी. में अधिकार है, हम कड़ा एक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह भी देखना है कि कड़े एक्शन से चूंकि यह पब्लिक सेक्टर है और जो हेवी इंडस्ट्री ने व्हाइट पेपर जारी किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लोग हैं, वह देख रहे हैं कि कौन से यूनिट वायेबल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। रहा सवाल जैसे कि कह रहे हैं यह सब स्टेटयूटरी डयुज़ हैं, यह मैं मानता हूं रफ्तार से, तेजी से यह काम होना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम कुछ हुआ ही नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम इस काम के लिए बात कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री गवर्नमेंट एक है, यह पब्लिक सैक्टर के यूनिट हैं, कई बार मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि एक्शन करो लेकिन उनका कहना था कि वह यूनिट बंद हो जाएंगी, दिक्कत में आ जाएंगी। यह कहना कि हमको हार्ड एक्शन लेना चाहिये, इतना आसान नहीं है। निश्चित तौर पर जो डयुज हैं पी.एफ. के वह उनकी गाढ़ी कमाई है, वह उनको जल्दी से जल्दी मिलने चाहियें। इसके लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है। श्रम मंत्रालय के हाथ में जो कुछ है, वह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे टेक्सटाइल हो या और कोई हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास लिस्ट है। मैं पढ़ना शुरू करूं तो एफ.सी.सी.आई. है, एन.डी.सी. है, 98 कंपनीज है, जब से यह सवाल पूछा हमने यह वसूल करने का काम किया और 121 करोड़ रुपया वसूल किया। सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं। हम अपने प्रयास कर रहे है। माननीय सदस्यों की जो इच्छा है जो मुखर्जी जी कह रहे हैं, वह हमारे दिल की भी इच्छा है, हम को भी तकलीफ है, लेकिन उस प्रयास को हम कर रहे हैं। हम अपने प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह भी देखना है कि इन प्रयासों के चलते जो कंपनीज हैं वह बन्द भी न हों और वह किस तरह से रिवाइव हो सकती हैं, किस तरह से ...(**व्यवधान**)

श्री जीवन राय: चार पांच महीने आप ले लीजिये और यह सब आप हाउस में आकर बता दीजिये।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: राय साहब यही तो कह रहा हूं यही तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं। एक्शन सरकार ने नहीं लिया, ऐसा बिलकुल नहीं है। एक्शन सब स्तर पर लिया गया है, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बना कर के हमारे मंत्रालय में मीटिंग कर के हमने पी.एफ. के मामले में कड़ाई से काम किया है। कुछ केसेज़ अब बी.आई.एफ.आर. में है, कुछ कोर्ट में हैं, उनसे हम कैसे वसूल करें, यह दिक्कत हमारे सामने है। अब इस दिक्कत से कैसे निपटा जाए , इसमें भी कोशिश करेंगे। 98 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ से हमने वसूली की है।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार प्रोविडेंट फंड का पैसा एक सेपरेट अकाऊंट में रखा जाता है और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज को इस पैसे को अलग अकाऊंट में रखना था। यह पैसा अलग से रखते हुए भी लोगों को प्रोविडेंट फंड का पैसा देने में आपत्ति क्यों हो रही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पैसा अलग से अकाऊंट में रखा गया था और यदि रखा गया था तो क्या इस पैसे को सरकार ने किसी दूसरे काम के लिए यूज़ किया और यदि दूसरे काम के लिए इसे यूज़ किया गया होगा तो वह किस ने यूज़ किया और इस अकाऊंट में से कब से पैसा लोगों को देना बाकी है? शुरू से अब तक कुल मिला कर के आपने जो रकम बताई है, यह सारी रकम कब से पेंडिंग है, यह भी आप बताइयेगा?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यह बकाया काफी दिनों से है, निश्चित तौर पर मैंने पहले विस्तार में बताया है। हमारी कोशिश है, जो सारी समस्या है वह विकट है, उलझी हुई है, उससे निकलने का प्रयास करने के लिए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं।

श्री सतीश प्रधान: यह जवाब बराबर नहीं है, यह अन्याय होगा। अगर मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो वह बाद में बता दें लेकिन इस विषय में कब से यह पेंडिंग है यह भी पूरी जानकारी सदन को मिलने की आवश्यकता है। साथ साथ यह भी बता दें ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: आपको जानकारी मैं पूरी डेटवाइज दिलवा दूंगा।

श्री सतीश प्रधान: साथ साथ इस पैसे पर ब्याज भी चलता है।

श्री शरद यादव: ठीक है, वह कौन कह रहा है, बाकायदा सुरक्षित है, ब्याज भी है, सारी चीजें हैं। ...(व्यवधान)

श्री सतीश प्रधान: यह भी बताएं कि सेपरेट अकाऊंट रखा जाता है इस सेपरेट अकाऊंट में रखा हुआ है पैसा किस काम के लिए यूज़ किया गया है और किस ने इस विषय में निर्णय किया। यह सब मालूमात होनी चाहिये।

श्री शरद यादव: यह सवाल इससे नहीं खड़ा होता है।...(व्यवधान)

श्री सतीश प्रधान: इसके लिए किस ने निर्णय किया, यह भी सदन को मालूम होने की आवश्यकता है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् प्रश्न के (य) भाग के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह प्रत्येक मामले की स्थिति का आकलन क्या है, कैसे वह स्थिति आंकी जाती है और दूसरे अब तक कितनी बजटीय सहायता दी गई है और आगे बजटीय सहायता देने का क्या विचार है?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो इस मामले में बजटीय सपोर्ट मिला है वह 1999-2000 में 2081 करोड़ था और 2000-2001 में 1374 करोड़ का था। मैंने आपसे शुरू में ही निवेदन किया कि हैवी इंडस्ट्री, टैक्सटाइल और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जिनके तहत पब्लिक सेक्टर आता है, वह सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। अपनी पूर ताकत लगा कर के पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैक्सिमम यूनिट रिवाइव किये जा रहे हैं, वायेबल किये जा रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो आपने उत्तर दिया है कि प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक मामले की स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? और दूसरा यह कि कितनी बजटरी सहायता आपने दी है और आगे कितनी बजटरी सहायता देने का विचार है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, ऐसा है कि यह प्रश्न जो इन्होंने पूछा है वह बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं इसकी पूरी जानकारी इनको दे दूंगा कि किस-किस तरह से, कहां-कहां किसको कितना दिया है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर अगर आप हॉफ एन ऑवर डिसकशन की अनुमति दे देंगे तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: हां, दे देंगे।...(व्यवधान) नोटिस दे दीजिए।

*63. [*The questioner (Shri K.C. Kondaiah) was absent. For answer vide page* 23-*infra.*]